भारत सरकार

भूमि संसाधन विभाग
ग्रामीण विकास मंत्रालय

परिणाम बजट
2016-17

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
कार्यकारी सांराश	i-iii
अध्याय - I - प्रस्तावना	1-3
अध्याय -II परिणाम बजट 2016-17	4-6
अध्याय -III सुधारात्मक उपाय तथा नीतिगत पहलें	7-13
अध्याय -IV मुख्य कार्यक्रमों/ स्कीमों का विगत कार्य निष्पादन	14-33
अध्याय -V वित्तीय समीक्षा	34-38
अध्याय -VI स्वायत्त निकायों का कार्य निष्पादन	39

कार्यकारी सारांश

परिणाम बजट सभी प्रमुख कार्यक्रमों के विकास परिणामों का आकलन करने की एक व्यवस्था है । इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य वित्तीय परिव्ययों को ऐसे परिणामों में परिवर्तित करना है जिनका आकलन और निगरानी की जा सके। यह निष्पादन के आकलन का ऐसा साधन है जो बेहतर सेवा देने, निर्णय लेने, कार्यक्रम निष्पादन और परिणाम का मूल्यांकन करने तथा कार्यक्रम की प्रभावशीलता बढ़ाने में मदद करता है । परिणाम बजट का उद्देश्य 'परिव्ययों' के बजाय आकलन योग्य और निगरानी योग्य 'परिणामों' पर मुख्य ध्यान देकर विभाग, जिसे कार्यक्रम निष्पादन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है।

2. परिणाम बजट 2016-17 में मुख्य रूप से निम्नलिखित अध्याय शामिल हैं:

अध्याय-I: इसमें विभाग के कार्यों, संगठनात्मक ढ़ांचे, इसके द्वारा कार्यान्वित किए गए मुख्य कार्यक्रमों/ स्कीमों की सूची, इसके अधिदेश, लक्ष्यों तथा नीतिगत ढ़ांचे की संक्षिप्त जानकारी दी गई है।

अध्याय-II: इसमें वर्ष 2016-17 के लिए वित्तीय परिव्ययों, अनुमानित वास्तविक उपलब्धियों तथा अनुमानित/ बजट परिणामों का ब्यौरा दर्शाते हुए सारणीबद्ध फार्मेट (विवरण) दिया गया है।

अध्याय-III: इसमें वर्ष के दौरान, विभाग द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों तथा नीतिगत पहलों, यदि कोई हो, का ब्यौरा दिया गया है।

अध्याय-IV: इसमें वर्ष 2014-15 के दौरान विगत कार्य-निष्पादन की समीक्षा तथा पहले से निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में वर्ष 2015-16 (31.12.2015 की स्थिति के अनुसार) के दौरान अलग-अलग कार्यक्रमों/ स्कीमों का कार्य निष्पादन दिया गया है।

अध्याय-V: इसमें चालू वर्ष सहित हाल के वर्षों में बजट अनुमानों/ संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय के रूझानों को शामिल करते हुए वित्तीय समीक्षा की दी गयी है। इसमें बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों, अप्रयुक्त बकाया राशि और समयपूर्व बंद कर दी गई परियोजनाओं की स्थिति भी दी गई है।

अध्याय-VI: इसमें विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों का कार्य निष्पादन दिया गया है।

निगरानी तंत्र

3. 2015-16 से **एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडबल्यूएमपी), प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी - पीएमकेएसवाई**) बन गया है। भूमि संसाधन विभाग द्वारा परियोजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन पर विशेष जोर दिया जाता है। निगरानी तथा मूल्यांकन की एक विस्तृत प्रणाली तैयार की गई है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

(i) केन्द्र स्तर पर, डब्ल्यूडीसी - पीएमकेएसवाई पूर्ववर्ती आईडब्ल्यूएमपी के संचालन के लिए भूमि संसाधन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में केन्द्र सरकार के संबंधित विभिन्न विभागों, नीति आयोग के सदस्यों, विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों के तकनीकी विशेषज्ञों, वाटरशेड प्रबंधन क्षेत्र के विशेषज्ञों, स्वयंसेवी संगठनों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक संचालन समिति का गठन किया गया है।

(ii) आईडब्ल्यूएमपी के मार्गदर्शी सिद्धांतों में एक अन्तर्निहित निगरानी तंत्र का प्रावधान किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्कीमों को कार्यान्वित करके इनके उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है।

(iii) आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत राज्य, जिला तथा परियोजना स्तर पर व्यावसायिक सहायता के साथ समर्पित संस्थाएं स्थापित की गई हैं ।

(iv) राज्य स्तर पर, सभी 29 राज्यों में आईडब्ल्यूएमपी के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए), जो व्यावसायिक सहायता प्राप्त समर्पित संस्था है, का गठन किया गया है। एसएलएनए कार्यक्रम की निरन्तर निगरानी और मूल्यांकन करती है और संबंधित राज्यों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

(v) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियों को राज्य सरकारों के जरिए आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत गठित एसएलएनए को जारी किया जा रहा है। इसका तात्पर्य है कि एसएलएनए को दी गई निधि का राज्यों द्वारा समग्र पर्यवेक्षण किया जाता है।

(vi) विभाग, वाटरशेड परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यों की प्रगति की निगरानी, तिमाही समीक्षा बैठकों, प्रबंधन सूचना प्रणाली, प्रगति रिपोर्टों, उपयोग प्रमाण- पत्रों, लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरणों आदि के जरिए करता है।

(vii) किसी चुनिन्दा राज्य में राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने के लिए सचिव (एलआर) की अध्यक्षता में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस समीक्षा में एक फील्ड दौरा शामिल है जिसमें आमंत्रित किए गए अन्य राज्य भी भाग लेते हैं।

(viii) राज्य मुख्यालयों और जिला स्तर पर कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए परियोजना क्षेत्रों का दौरा करते हैं कि कार्यक्रम को संतोषजनक रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ix) वाटरशेड कार्यक्रम सहित मंत्रालय के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता की निगरानी करने के उद्देश्य से, संसद सदस्यों और राज्य विधान सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की गई हैं।

(x) इस विभाग तथा राज्यों में भी एक स्वतंत्र पक्ष द्वारा समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन की प्रणाली स्थापित की जा रही है। 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार, 22 राज्यों ने स्वतंत्र एजेंसियों से अनुबंध कर लिया है जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगी। इसमें प्रक्रिया और निवेश-उत्पादन निगरानी शामिल है।

(xi) स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शी सिंद्धांतों में परियोजना नि के 1 प्रतिशत के विशेष वित्तीय प्रावधान की व्यवस्था की गई है।

(xii) परियोजना के प्रत्येक चरण अर्थात तैयारी चरण, कार्य चरण और समेकन तथा समापन चरण के पूरा होने के बाद स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं के मूल्यांकन का प्रावधान है। मूल्यांकन एजेंसी की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ तैयारी चरण की संतोषजनक मूल्यांकन रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के बाद ही, भूमि संसाधन विभाग परियोजनाओं के अगले चरण अर्थात कार्य चरण के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता मुहैया करता है।

(xiii) कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर वाटरशेड परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर प्रतिष्ठित और स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों/संगठनों के जरिए मूल्यांकन अध्ययन भी किए जाते हैं।

सूचना, शिक्षा एवं संचार

4. सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) की जागरूकता सृजन करने, लोगों को संगठित करने तथा इनका प्रचार करके और लोगों को अपेक्षित ज्ञान, विशेषज्ञता और तकनीकों का अंतरण करके विकास को सहभागी बनाने में मुख्य भूमिका है।

5. विभाग द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित पांच आयामी कार्यनीति को जारी रखा जाएगा ताकि कार्यक्रमों से अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो सके:-

- सभी हितधारकों में विभाग के कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- क्षेत्र स्तर पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- विभाग के कार्यक्रमों की पूर्ण सतर्कता और निगरानी सुनिश्चित करना।
- सामाजिक लेखा-परीक्षा तथा जवाबदेही की अवधारणा को बढ़ावा देना ।

******

अध्याय- I

प्रस्तावना

भूमि एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर सदियों से सभी मानव कार्यकलाप आधारित हैं। सीमित भूमि, जल और जैविक संसाधनों पर आबादी के अभूतपूर्व दबाव और समाज की इनकी मांग के कारण और इन संसाधनों के बढ़ते हुए अवक्रमण से हमारी पारिस्थितिकी प्रणालियों और समग्र रूप से पर्यावरण की स्थायित्वता और इन प्रतिकूल प्रभावों से निपटने की उनकी शक्ति प्रभावित हो रही है। पूरे विश्व में, मानव बंदोबस्त और बुनियादी ढ़ांचे के विस्तार, कृषि के गहनीकरण और सीमांतक क्षेत्रों में कृषि के विस्तार तथा कमजोर पारिस्थितिकी प्रणालियों के कारण भूमि संसाधनों की समेकित आयोजना बनाने और प्रबंधन करने की जरूरत हो गई है।

2. भूमि संसाधन विभाग द्वारा श्री एस.पार्थासारथी की अध्यक्षता में वर्ष 2005 में गठित तकनीकी समिति ने यह दर्शाने के लिए व्यापक आंकड़ों का विश्लेषण किया कि जहां सिंचित कृषि स्थिर स्थिति में पहुंची प्रतीत होती है, वहीं वर्षासिंचित कृषि की भी उपेक्षा हुई है। रिपोर्ट का यह निष्कर्ष है कि यदि भावी वर्षों की खाद्य सुरक्षा संबंधी मांगों को पूरा करना है, तो वर्षासिंचित कृषि की उत्पादकता को तत्काल बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। वाटरशेड विकास कार्यक्रमों का वर्षासिचिंत क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने पर अधिक जोर देना, आने वाले वर्षों में खाद्य सुरक्षा की चुनौती को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत के 328.7 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 142 मिलियन हेक्टेयर निवल जोताई क्षेत्र है । इसमें से, लगभग 57 मिलियन हेक्टेयर (40%) सिंचित है तथा शेष 85 मिलियन हेक्टेयर (60%) वर्षासिंचित है।

3. योजना आयोग के तत्वावधान में, राष्ट्रीय वर्षा-सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरआरए) ने सभी मंत्रालयों/ विभागों हेतु वाटरशेड कार्यक्रमों के लिए समान दिशा-निर्देश, 2008 तैयार किए थे। समान दिशा-निर्देशों में किए गए उपबंधों तथा पार्थासारथी समिति की टिप्पणियों के कारण, भूमि संसाधन विभाग की वाटरशेड स्कीमों में संशोधन करना आवश्यक हो गया था। तदनुसार, भूमि संसाधन विभाग की डीपीएपी, डीडीपी तथा आईडब्ल्यूडीपी स्कीमों को **समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)** नामक एकल संशोधित कार्यक्रम में समेकित तथा एकीकृत कर दिया गया है तथा इसे 2009-10 में लागू कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान 28 राज्यों में 39.07 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए कुल 8214 परियोजनाएं 50,740 करोड़ रूपए की (31 मार्च, 2015) कुल परियोजना लागत के साथ स्वीकृत की गईं है और 11,032 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। 2015-16 से **एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडबल्यूएमपी), प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी - पीएमकेएसवाई**) बन गया है। डब्ल्यूडीसी - पीएमकेएसवाई के लिए भूमि संसाधन विभाग के बजट में 2015-16 के लिए 1530 करोड़ रूपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, आर्थीक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 07.10.2015 को विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम परियोजना ''नीरांचल'' को अपना अनुमोदन दे दिया है। नीरांचल से प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक को सहायता मिलेगी।

4. विभाग, भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है तथा देश में मौजूदा परिकल्पित स्वामित्वाधिकार प्रणाली के स्थान पर स्वामित्व की गारंटी के साथ निश्चायक स्वामित्वाधिकार की प्रणाली शुरू

करने के अंतिम लक्ष्य के साथ केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) की स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है। यह भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का संचालन करता है तथा राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति के संबंध में नोडल एजेंसी है।

5. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार, भूमि संसाधन विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:-

- भूमि सुधार, भू-पट्टेदारी, भूमि अभिलेख, भूमि जोतों की चकबंदी और अन्य सबंधित मामले ।
- *भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) का संचालन और संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन से संबंधित मामले।
- कर तथा अन्य सार्वजनिक मांगों और उस राज्य से बाहर के संबंध में राज्य में दावों की वसूली, जिसमें भू-राजस्व का बकाया और बकाया के रूप में वसूल की जाने वाली राशि शामिल है।
- भूमि अर्थात् किरायों की वूसली, भूमि का अंतरण और हस्तांतरण, भूमि सुधार और कृषि संबंधी ऋण, जिसमें गैर-कृषि भूमि अथवा भवनों का अर्जन शामिल नहीं है, नगर आयोजना सुधार।
- भूमि राजस्व, जिसमें राजस्व निर्धारण और एकत्रण शामिल है, राजस्व प्रयोजनों के लिए सर्वेक्षण, राजस्वों का हस्तांतरण ।
- कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क ।
- राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड।
- राष्ट्रीय भूमि उपयोग और बंजरभूमि बोर्ड विकास परिषद।
- बंजरभूमि विकास के जरिए ग्रामीण रोजगार का संवर्धन करना।
- निजी बंजरभूमि सहित वनेतर भूमि पर ईंधन-लकड़ी, चारे और इमारती लकड़ी का संवर्धन एवं उत्पादन।
- बंजरभूमि की उत्पादकता को सतत ढंग से बढ़ाने के लिए उपयुक्त किफायती प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान और विकास।
- प्रशिक्षण सहित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम की कार्यक्रम आयोजना और कार्यान्वयन में अंतर्विभागीय और अंत: शाखा समन्वय।
- बंजरभूमि विकास के लिए लोगों की भागीदारी और जन सहयोग का संवर्धन तथा पंचायतों और स्वयंसेवी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों का समन्वय।
- सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
- मरुभूमि विकास कार्यक्रम
- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1908 का 16वां)
- i) राष्ट्रीय जैव-डीजल मिशन
- ii) कृषि मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के परामर्श से ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत जैव-ईंधन पौधों का उत्पादन, जैव-ईंधन पौधों का प्रचार और वाणिज्यिक पौधरोपण ।
- iii) जैव-ईंधन पौधों के उत्पादन के लिए राज्य सरकारों, कृषि मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के परामर्श से वनेतर बंजर भूमि की पहचान करना।

6. उपर्युक्त कार्य निष्पादित करने के उद्देश्य से भूमि संसाधन विभाग निम्नलिखित स्कीमों को कार्यान्वित करता है:-

- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी - पीएमकेएसवाई) (पूर्ववर्ती एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडबल्यूएमपी))
- राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी)। 2016-17 से इस स्कीम का नाम बदलकर डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) कर दिया गया है।
- प्रौद्योगिकी, विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण (टीडीईटी)

7. **वर्ष 2016-17 के दौरान, उपर्युक्त कार्यों को निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत किया जाएगा:-**

- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी - पीएमकेएसवाई) (पूर्ववर्ती एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडबल्यूएमपी))
- डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)
- राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (एनआरआरपी)

******

अध्याय- II

वर्ष 2016-17 के लिए परिणाम बजट

परिणाम बजट कार्य-निष्पादन का आकलन करने का एक ऐसा साधन है जो बेहतर सेवा देने, निर्णय लेने, कार्यक्रम के निष्पादन और परिणामों का मूल्यांकन करने तथा कार्यक्रम की प्रभावकारिता में सुधार लाने में सहायता करता है। इसका उद्देश्य 'परिव्ययों' के बजाय आकलन योग्य और निगरानी योग्य 'परिणामों' पर समग्र ध्यान देकर विभाग, जिसे कार्यक्रम निष्पादन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है।

2. वर्ष 2016-17 के लिए परिणाम बजट का स्कीम-वार ब्यौरा, जहां कहीं आवश्यक है, संलग्न **विवरण** में दर्शाया गया है।

विवरण

वार्षिक योजना (2016-17)
भूमि संसाधन विभाग
परिव्ययों तथा परिणामों/लक्ष्यों (2016-17) का विवरण

(करोड़ रूपए में)

क्र0 सं0	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	वार्षिक योजना 2016-17	अनुमान्य प्रदेय	प्रक्रिया/समय सीमाएं	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी - पीएमकेएसवाई) (पूर्ववर्ती एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडबल्यूएमपी))	डब्ल्यूडीसी - पीएमकेएसवाई की प्रक्रिया के जरिए वर्षासिंचित/अवक्रमित भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना।	1495.00	आईडब्ल्यूएमपी की चल रही 1305 परियोजनाओं को पूरा करना जिसमें 6.18 मिलियन हे. क्षेत्र शामिल है ।	न्यूनतम एक वर्ष	उपलब्धि निम्नलिखित कारणों से प्रभावित हो सकती है: (i) निधियों की अपेक्षित राशि का अभाव (ii) राज्य का हिस्सा जारी करने में विलम्ब होना (iii) राज्यों द्वारा वैज्ञानिक निविष्टियों के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में विलम्ब होना। (iv) मूल्यांकनकर्ता एजेंसियों की नियुक्ति तथा मूल्यांकन रिपोर्टें प्रस्तुत करने में विलम्ब होना।
2.	ईएपी - विश्व बैंक सहायता प्राप्त वाटरशेड प्रबंधन परियोजना - नीरांचल	कार्यान्वय की प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए पीएमकेएसवाई - डब्ल्यूडीसी की सहायता करना	55.00	विभिन्न विषयगत क्षेत्रों जैसे, कृषि, वाटरशेड प्रबंधन, क्षमता संवर्धन, जल विज्ञान, निगरानी एवं मूल्यांकन, परियोजना प्रबंधन आदि के लिए समझौता-ज्ञापन और संविदाओं को अंतिम रूप देना।	न्यूनतम एक वर्ष	परियोजना का प्रथम वर्ष तैयारी कार्य के लिए है। कार्यान्वयन 2017-18 से पांच वर्ष में।
		योग	**1550.00**			

भूमि संसाधन विभाग
परिव्ययों तथा परिणामों/लक्ष्यों का विवरण (2016-17)

(करोड़ रूपए में)

क्र0 सं0	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	अनुमान्य प्रदेय	प्रक्रियाएं/ समय सीमाएं	कॉलम (5) के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)	(क) डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) की संकल्पना एक ऐसी प्रमुख प्रणाली और सुधार उपाय के रूप में की गई है जो न केवल भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण, अद्यतनीकरण और अनुरक्षण से संबंधित है, बल्कि एक ऐसे कार्यक्रम के रूप में भी की गई है जिससे उपयोगिता में वृद्धि होगी और भूमि अभिलेखों के आंकड़ों के आधार पर नागरिक सेवाएं प्रदान करते हुए स्थान विशिष्ट सूचना उपलब्ध कराकर विकासात्मक आयोजना एवं विनियामक और आपदा प्रबंधन कार्यकलापों के लिए एक व्यापक डाटा आधार मिलेगा। इसका दीर्घकालिक लक्ष्य स्वामित्वाधिकार गारंटी के साथ निश्चायक स्वामित्वाधिकार की प्रणाली शुरू करना है । एनएलआरएमपी को डीआईएलआरएमपी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे डिजिटल इंडिया में शामिल किया गया है। यह केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम बन गई है।	150.00	डीआईएलआरएमपी के तहत शामिल किए जाने वाले जिले = 60	चल रही हैं।	2015-16 के दौरान, संशोधित अनुमान के स्तर पर डीआईएलआरएमपी के तहत आबंटन 40.00 करोड़ रूपए है। इस कार्यक्रम के तहत गठित परियोजना मंजूरी एवं निगरानी समिति द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 36.34 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई। एनएलआरएमपी की शुरूआत से लेकर अब तक पहली बार चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को भी निधियां जारी की गई है। जिला जींद, हरियाणा में पायलेट परियोजना के रूप में पर्सन पार्सल पिक्सल अर्थात आधार समर्थित भूमि अभिलेखों की भी शुरूआत की गई है।	इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश और तकनीकी नियम पुस्तिका, एमआईएस के लिए प्रपत्र, राज्य संदर्शी योजना और वार्षिक कार्य योजना/डीपीआर तैयार की गई और इन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य संबंधित एजेंसियों को परिचालित किया गया।

अध्याय-III
सुधारात्मक उपाय और नीतिगत पहलें

I. वाटरशेड कार्यक्रम

एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) भारत सरकार का एक अग्रणी कार्यक्रम है जो वर्ष 2009-10 से गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में कार्यान्वयनाधीन है। वर्ष 2015-16 से समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडबल्यूएमपी), प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी - पीएमकेएसवाई) बन गया है। आईडब्ल्यूएमपी के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए विभाग द्वारा की गई पहलों में अन्य के साथ-साथ तिमाही समीक्षा बैठकें, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें, राज्य के अधिकारियों के साथ वीडियों कांफ्रेंस के जरिए विचार-विमर्श, अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरे, स्वतंत्र पक्ष द्वारा समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन, परियोजना वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का कार्यान्वयन, सुदूर संवेदन और जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग, आईडब्ल्यूएमपी-एमआईएस के बारे में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, आईडब्ल्यूएमपी के साथ कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र की स्कीमों का समामेलन शामिल हैं।

2. डब्ल्यूडीसी - पीएमकेएसवाई पूर्ववर्ती आईडब्ल्यूएमपी के कार्यान्वयन और निगरानी की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(i) केन्द्र स्तर पर, आईडब्ल्यूएमपी को संचालित करने के लिए केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों, नीति आयोग, डब्ल्यूडीसी - पीएमकेएसवाई पूर्ववर्ती आईडब्ल्यूएमपी के सदस्यों, विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों के तकनीकी विशेषज्ञों, वाटरशेड प्रबंधन क्षेत्र के विशेषज्ञों स्वयंसेवी संगठनों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक संचालन समिति का गठन किया गया है।

(ii) आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत राज्य, जिला तथा परियोजना स्तर पर व्यावसायिक सहायता के साथ समर्पित संस्थाएं स्थापित की गई हैं।

(iii) राज्य स्तर पर, सभी 29 राज्यों में आईडब्ल्यूएमपी के कार्यान्वयन के लिए व्यावसायिक सहायता सहित समर्पित संस्थान अर्थात राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) का गठन किया गया है।

(iv) विभाग और राज्यों में एक अन्य पक्ष समवर्ती निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली लागू की जा रही है। 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार 22 राज्यों ने स्वतंत्र एजेंसियां नियुक्त की गई हैं जो परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगी जिसमें प्रक्रिया और निविष्टि - उत्पादन शामिल है।

(v) राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए सचिव (एलआर) की अध्यक्षता में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(vi) एनआरएससी के सहयोग से नई दिल्ली में 22 एवं 23 अप्रैल, 2015 को 'आईडब्ल्यूएमपी के भुवन-भू-पोर्टल का प्रयोग'' के बारे में दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

(vii) माननीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा 12 जून, 2015 को ''वाटरशेड विकास - एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडबल्यूएमपी) के जरिए बदलता ग्रामीण जीवन'' नामक एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया ।

(viii) नई दिल्ली में 16.06.2015 को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, असम और सिक्किम के लिए, एनआरएससी के सहयोग से 'आईडब्ल्यूएमपी भुवन-पोर्टल (सृष्टि एवं दृष्टि) पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(ix) 26.06.2015 को नई दिल्ली में उत्तरी क्षेत्र के राज्यों और 29 एवं 30 जून, 2015 को एनआईआरडी, हैदराबाद में दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों के लिए प्रक्रिया प्रबंधन सॉफ्टवेअर (पीएमएस) के बारे में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(x) राज्यो के साथ पांच वीडियों कांफ्रेंस आयोजित की गई।

(xi) एनआईआरडी, हैदराबाद में 01.07.2015 से 03.07.2015 तक प्रक्रिया प्रबंधन सॉफ्टवेअर (पीएमएस) पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओड़िशा और त्रिपुरा राज्यों ने भाग लिया।

(xii) नई दिल्ली में 18 और 19 अगस्त, 2015 को पीएमकेएसवाई - वाटरशेड विकास घटक (पूर्ववर्ती आईडब्ल्यूएमपी) के कार्यान्वयन पर राज्यों के राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

(xiii) नई दिल्ली में 2 और 3 सितम्बर, 2015 को आईडब्ल्यूएमपी की निगरानी के लिए नियुक्त राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी, मूल्यांकन एवं शिक्षण (एमईएल) एजेंसियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई । इस कार्यशाला में आईडबल्यूएमपी की निगरानी के लिए नियुक्त एजेंसियों - राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों (एसएलएनए), राज्य स्तरीय एमईएल एजेंसियों और राष्ट्रीय स्तरीय एमईएल एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया।

(xiv) देश के तीन क्षेत्रों में आईडब्ल्यूएमपी की निगरानी के लिए नियुक्त राष्ट्रीय स्तरीय (एमईएल) एजेंसियों के लिए 16.09.2015 को एक दिवसीय प्रशिक्षिण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(xv) आवधिक निगरानी: विभाग समीक्षा बैठकों, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), प्रगति रिपोर्टों, उपयोग प्रमाण पत्रों, लेखाओं के संपरीक्षित विवरण आदि के माध्यम से वाटरशेड परियोजनाओं के तहत कार्यों की प्रगति की निगरानी करता है।

(xvi) आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए वाटरशेड विकास परियोजनाओं संबंधी समान मार्गदर्शी सिद्धांत, 2008 (2011 में संशोधित) में विशिष्ट वित्तीय प्रावधान किए गए हैं जो कुल परियोजना लागत का 1 प्रतिशत है।

(xvii) राज्य स्तर पर, राज्य स्तरीय वाटरशेड कार्यक्रम की निगरानी के लिए एसएलएनए को जिम्मेदार बनाया गया है।

II. विश्व बैंक सहायता प्राप्त वाटरशेड प्रबन्धन परियोजना 'नीरांचल'

विश्व बैंक सहायता प्राप्त एक तकनीकी सहायता कार्यक्रम के रूप में एक नई पहल नामत: 'नीरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना' की परिकल्पना की गई है जो 6 वर्ष की अवधि में 2142 करोड़ रूपए की लागत से पूरी की जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चुनिन्दा स्थलों में समुदायों के लिए वृद्धिमूलक संरक्षण परिणामों और कृषि उपजों को बढ़ाने तथा सहभागी परियोजना राज्यों में व्यापक आईडब्ल्यूएमपी में अधिक प्रभावी प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के उद्देश्य से तकनीकी सहायता के जरिए आईडब्ल्यूएमपी को सहायता देना है।

इस परियोजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित चार घटकों के माध्यम से किया जाएगा:

घटक 1: केन्द्रीय संस्थागत तथा क्षमता संवर्धन
घटक 2: राष्ट्रीय अभिनव उपाय सहायता
घटक 3: प्रतिभागी राज्यों में आईडब्ल्यूएमपी कार्यान्वयन हेतु सहायता
घटक 4: परियोजना प्रबंधन और समन्वयन

यह परियोजना 9 राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना) में कार्यान्वित की जाएगी जिनका वर्षासिंचित क्षेत्र देश के कुल ऐसे क्षेत्र का लगभग 60 प्रतिशत है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 07.10.2015 को विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम परियोजना ''नीरांचल'' को अपना अनुमोदन दे दिया है। नीरांचल से प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक को सहायता मिलेगी। सचिव, भूमि संसाधन विभाग की अध्यक्षता में नीरांचल की परियोजना अधिकार प्राप्त समिति की पहली बैठक 22.12.2015 को आयोजित की गई।

III. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)

भूमि संसाधन विभाग, वर्ष 2007-08 तक केन्द्रीय प्रायोजित दो स्कीमों अर्थात 'भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सीएलआर)' और 'राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण एवं भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण (एसआरएएंडयूएलआर)' का संचालन कर रहा था। इन स्कीमों के जरिए पर्याप्त प्रगति हुई है। 23 राज्यों ने कम्प्यूटर के जरिए अधिकारों के अभिलेख जारी करना शुरू कर दिया है। 24 राज्यों ने कम्प्यूटरों के जरिए रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है और 10 राज्यों ने रजिस्ट्रेशन के साथ भूमि अभिलेखों को समेकित कर दिया है। 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 34 एनआरएलएमपी प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं।

2. उपर्युक्त दो स्कीमों के मुख्य घटकों को मिलाते हुए, लिखित और स्थानिक आंकड़ों के समेकन, रजिस्ट्रेशन के कम्प्यूटरीकरण तथा राजस्व और रजिस्ट्रेशन प्रणालियों के बीच अंत:संबद्धता, सर्वेक्षण और कोर जीआईएस के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी विकल्पों को सुदृढ़ बनाने जैसे नए घटकों को शामिल करते हुए 21 अगस्त, 2008 को राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के रूप में केन्द्रीय प्रायोजित एक संशोधित स्कीम शुरू की गई थी।

3. एनएलआरएमपी के अंतर्गत जिन कार्यकलापों को सहायता दी जा रही है, उनमें अन्य के साथ-साथ अधिकारों के अभिलेखों (आरओआर) का कम्प्यूटरीकरण, मानचित्रों का डिजिटीकरण, हवाई फोटोग्रामेट्री सहित आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण/ पुन: सर्वेक्षण, रजिस्ट्रेशन का कम्प्यूटरीकरण, संबंधित अधिकारियों और पदधारियों का प्रशिक्षण और क्षमता-संवर्धन, भूमि अभिलेख और रजिस्ट्रेशन कार्यालयों के बीच संबद्धता तथा तहसील/ तालुक/सर्किल/ ब्लॉक स्तर पर आधुनिक भूमि कक्षों/भूमि अभिलेख प्रबंधन केन्द्रों की स्थापना शामिल है।

4. गैर-पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण और प्रशिक्षण और क्षमता-संवर्धन के लिए वित्तपोषण शत-प्रतिशत है। पूर्वोत्तर राज्यों के, लिए इस घटक में वित्तपोषण का अनुपात 90:10 (केन्द्र और राज्य) है। इसके अलावा, सर्वेक्षण/ पुनर्सर्वेक्षण और आधुनिक अभिलेख कक्षों के लिए, गैर-पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 50:50 तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वित्तपोषण 90:10 (केन्द्र और राज्य) है। रजिस्ट्रेशन के कम्प्यूटरीकरण के लिए स्कीम के तहत वित्तपोषण का अनुपात 25 और 75 (केन्द्र और राज्य) है। तथापि, कार्यक्रम के सभी घटकों के तहत संघ राज्य क्षेत्रों को शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

5. तथापि, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तपोषण पद्धति में इस सीमा तक परिवर्तन कियाग गया है कि इस स्कीम को राज्य सरकारों के लिए वैकल्पिक रखा गया है और केन्द्र और राज्यों के बीच उनकी निधियो की हिस्सेदारी 50:50 रखी गई है (8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के लिए 80:20)।

6. राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी), स्कीम जिसे भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश में भूमि अभिलेख प्रणाली को आधुनिक बनाने और देश में अद्यतन और रीयल टाइम भूमि अभिलेख डिजिटीकरण के साथ एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली तैयार करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा था, उसे युक्ति संगत बनाया गया है और इसे

''डिजिटल इंडिया'' पहलों में शामिल किया गया है। तदनुसार, इसे डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) का नाम दिया गया है। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन में प्रचालन दक्षता और सहक्रियाशीलता सुनिश्चित करने के लिए, डीआईएलआरएमपी को केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम के रूप में पुनर्गठित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2016-17 से इसका शतप्रतिशत वित्तपोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

7. कार्यक्रम का मुख्य फोकस नागरिक सेवाओं जैसे नक्शों सहित अधिकारों के अभिलेख (आरओआर) की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां; भूमि आधारित अन्य प्रमाण-पत्रों जैसे जाति प्रमाण-पत्र; आय प्रमाण-पत्र; अधिवास प्रमाण-पत्र; विकास कार्यक्रमों के लिए पात्रता हेतु सूचना आदि मुहैया कराने पर है। सम्पत्ति स्वामी अपने भूमि अभिलेखों को देख सकेंगे क्योंकि अभिलेखों को उचित सुरक्षा आईडी के साथ वेबसाइट पर डाला जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत, स्टॉम्प पेपर को समाप्त करने और स्टॉम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान बैंकों के जरिए करने, ऋण सुविधाओं के लिए ई-लिंकेजेज, स्वत: और स्वचालित नामांतरणों तथा सिंगल विंडो सर्विस के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर बल है। इसके अलावा, यह कार्यक्रम भूमि राजस्व प्रशासन को आधुनिक बनाने और उसमें दक्षता लाने के साथ-साथ स्थल विशिष्ट सूचना की आवश्यकता वाले विभिन्न भूमि-आधारित विकासात्मक, विनियामक और आपदा प्रबंधन कार्यकलापों की आयोजना तैयार करने हेतु एक विस्तृत साधन मुहैया कराने में केन्द्र और राज्य, दोनों सरकारों के लिए अत्यधिक उपयोगी होगा।

8. राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) का अंतिम लक्ष्य देश में मौजूदा परिकल्पित स्वामित्वाधिकार प्रणाली के स्थान पर निश्चायक स्वामित्वाधिकार की प्रणाली शुरू करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ किए जाने वाले कार्यकलापों को जिले स्तर पर एक ही जगह किया जाएगा और जिला, कार्यान्वयन की इकाई होगी। 12वीं योजना के अंत तक देश में सभी जिलों को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने की आशा है।

9. कार्यक्रम के अंतर्गत सचिव, भूमि संसाधन विभाग की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तरीय परियोजना/ प्रस्ताव स्वीकृति एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसमें गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा तकनीकी एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एनआरएससी) तथा भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) के प्रतिनिधि होंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां जारी करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है और समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं।

10. कार्यक्रम को कार्यान्वित करने और कार्यक्रम के प्रौद्योगिकीय पहलुओं के संबंध में भूमि संसाधन विभाग और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह देने के लिए तकनीकी एजेंसियों, संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के प्रतिनिधियों तथा राज्यों से विशेषज्ञों को शामिल करके एक कोर तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

11. निश्चायक स्वामित्वाधिकार की प्रणाली शुरू करने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा भूमि संबंधी अन्य कानूनों की जांच करने एवं उनमें अपेक्षित परिवर्तन करने के सुझाव देने हेतु कार्यक्रम के अंतर्गत "भारत में निश्चायक स्वामित्वाधिकार के लिए विधिक परिवर्तन संबंधी सलाहकार समिति" का गठन किया गया है।

12. कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत तथा तकनीकी मैनुअल परिचालित किए गए हैं। इसके अलावा, प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस), वार्षिक कार्य योजना/ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा राज्य संदर्शी योजना के फार्मेट भी तैयार किए गए हैं और कार्यक्रम की निगरानी तथा प्रभावी प्रबंधन के लिए इन्हें राज्यों एवं संघ राज्य प्रशासनों को परिचालित किया गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा निगमित (एनआईसीएसआई) को एमआईएस ऑन लाइन करने के लिए अपेक्षित सॉफ्टवेयर विकसित करने का कार्य सौंपा गया था। तदनुसार, उन्होंने एनएलआरएमपी के लिए एमआईएस के आधारभूत मॉड्यूल्स विकसित किए हैं और उन्हें वेबसाइट पर डाला गया है। राज्य सरकारों ने एमआईएस में सूचना डालना प्रारंभ कर दिया है। विभाग ने एनआईसीएसआई के सहयोग से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की अपेक्षाओं के अनुरूप वेब आधारित संपत्ति के विवरणों के लिए मूल सॉफ्टवेअर तैयार करने का काम शुरू कर दिया है।

13. चूंकि एनएलआरएमपी प्रौद्योगिकी आधारित उच्च-तकनीक युक्त कार्यक्रम है, अत: इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन की आवश्यकता है। अत: कार्यक्रम के सभी घटकों के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और/अथवा सर्वेक्षण/ राजस्व/ पटवारी प्रशिक्षण स्कूलों में एनएलआरएमपी केन्द्र/प्रकोष्ठ स्थापित किए जा रहे हैं। अभी तक, विभिन्न राज्यों में 35 एनएलआरएमपी प्रकोष्ठ स्वीकृत किए गए हैं। इसका ब्यौरा **अनुबंध - क** में दिया गया है। इसके अलावा, भारतीय सर्वेक्षण के सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद को आधुनिक उपस्करों का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

14. केन्द्र स्तर पर, एक राष्ट्रीय भूमि प्रशासन और प्रबंधन संस्थान (एनआईएलएएम) का भी प्रस्ताव है। यह संस्थान एनएलआरएमपी, भूमि प्रशासन और भूमि प्रबंधन संबंधी मामलों पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रम मुहैया कराएगा। एनआईएलएएम द्वारा प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और/अथवा सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण/पटवारी प्रशिक्षण स्कूलों के कार्मिकों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन भी किया जाएगा। ये कार्मिक आगे अपने संबंधित संस्थानों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निचले स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण मुहैया कराएंगे। एनआईएलएएम द्वारा भूमि प्रशासन और भूमि प्रबंधन के संबंध में डिप्लोमा और डिग्री कोर्स भी चलाए जाएंगे।

अनुबंध - क

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) केन्द्र/प्रकोष्ठ

क्र0सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रकोष्ठ की संख्या	एनएलआरएमपी केन्द्र/प्रकोष्ठ का स्थान	स्वीकृति का वर्ष
1	आंध्र प्रदेश	1	आंध्र प्रदेश भूमि सूचना प्रबंधन अकादमी, हैदराबाद	2010-11
2	असम	1	असम सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त प्रशिक्षण केन्द्र, दक्खिनगांव, गुवाहाटी	2009-10
3	बिहार	1	राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया, बिहार	2011-12
4	गुजरात	1	दीनदयाल सर्वेक्षण एवं राजस्व प्रशासन संस्थान (डीआईएसआरए), गांधी नगर	2010-11
5	हरियाणा	2	पटवार प्रशिक्षण विद्यालय, पंचकूला	2009-10
			एचएआरएसएसी, हिसार	2012-13
6	हिमाचल प्रदेश	1	राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, जोगिन्दर नगर, जिला मंडी	2009-10
7	जम्मू व कश्मीर	2	राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, गोल गुजराल, जम्मू	
			राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, बेमिना, श्रीनगर	2010-11
8	झारखंड	1	श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची, झारखंड	2013-14
9	केरल	1	भूमि तथा आपदा प्रबंधन संस्थान, पीटीपी नगर, तिरुअंनतपुरम	2009-10
10	मध्य प्रदेश	2	आरसीवीपी नोरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, भोपाल, मध्य प्रदेश	2010-11
			राज्य स्तर प्रशिक्षण संस्थान, ग्वालियर	2009-10
11	महाराष्ट्र	2	भूमि अभिलेख प्रशिक्षण विद्यालय, औरंगाबाद	2010-11
			भूमि अभिलेख कार्यालय, मलशी, पुणे	2011-12
12	नागालैण्ड	1	सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, दीमापुर	2010-11
13	ओडिशा	1	ओडिशाशा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (ओआरएसएसी) भुवनेश्वर	2010-11
14	पंजाब	1	पटवार प्रशिक्षण विद्यालय, जालंधर, पंजाब	2010-11
15	राजस्थान	2	राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरआरटीआई) अजमेर	
			बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	2010-11
16	सिक्किम	1	भूमि अभिलेख कार्यालय, देवराली, सिक्किम	2011-12
17	तमिलनाडु	1	सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, तंजावुर, तमिलनाडु	2011-12
18	त्रिपुरा	1	क्षेत्रीय सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अगरतला, त्रिपुरा	2011-12
19	उत्तर प्रदेश	2	राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूमि अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई, उत्तर प्रदेश	
			लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	2010-11
20	पश्चिम बंगाल	2	विश्लेषण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान (एआरटीआई), सलबोनी और भूमि प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र (एलएमटीसी), बरहामपुर	2011-12
21	दिल्ली	1	प्रशिक्षण निदेशालय, शाहदरा, दिल्ली	2012-13
22	लक्षद्वीप	1	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के तहत प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना, कावारती	2009-10
23	पुदुचेरी	1	सचिवालय हॉल, सचिवालय, पुदुचेरी	2011-12
24	एलबीएसएनएए	1	ग्रामीण अध्ययन केन्द्र (सीआरएस), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए) , मसूरी	2010-11
25	एनआईडीईएम	1	राष्ट्रीय रक्षा सम्पदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीईएम)	2010-11
26	गोवा	1	एनएलआरएमपी प्रकोष्ठ	2014-15
27	उत्तराखंड	1	एनएलआरएमपी प्रकोष्ठ	2014-15
28	अरूणाचल प्रदेश	1	एलएलआरएमपी प्रकोष्ठ, इटानगर, अरूणाचल प्रदेश	2015-16
योग		**35**		

अध्याय-IV
मुख्य कार्यक्रमों/ स्कीमों का विगत कार्य-निष्पादन

I. **वाटरशेड कार्यक्रम**

आईडब्ल्यूएमपी, भारत सरकार का एक अग्रणी कार्यक्रम है जो गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक कार्यान्वयनाधीन था। वर्ष 2015-16 से आईडब्ल्यूएमपी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूजीसी-पीएमकेएसवाई) बन गया है। वाटरशेड विकास कार्यक्रम के प्राथमिक उद्देश्य अवक्रमित प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, वानस्पतिक क्षेत्र और भूमि जल का उपयोग करना, संरक्षित और विकसित करना; मृदा अपवाह की रोकथाम; वर्षा जल संचयन और भूमि जल स्तर का पुनर्भरण; फसलों की उत्पादकता बढ़ाना; बहुफसल और विविध कृषि आधारित क्रियाकलाप आरंभ करना; सतत् आजीविका का संवर्धन करना, परिवारों की आय बढ़ाना आदि हैं।

2. वर्ष 2014-15 और 2015-16 (31.12.2015 की स्थिति के अनुसार) के लिए निर्धारित परिव्ययों/लक्ष्यों के संदर्भ में उपलब्धियों/ परिणामों की स्थिति क्रमश: **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** में दी गई है।

3. वर्ष 2015-16 के दौरान, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के लिए 1530.00 करोड़ रूपए का आबंटन (आरई) किया गया है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के अन्तर्गत, 31.12.2015 तक विभिन्न राज्यों को 1483.79 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। वर्ष 2015-16 (31.12.2015 की स्थिति के अनुसार) के दौरान विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

4. 2016-17 के दौरान विभाग द्वारा डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई (1950 करोड़ रू.) और निरांचल (60 करोड़ रू.) के लिए 2010.00 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

5. 2009-10 में आईडब्ल्यूएमपी के शुरू किए जाने के समय से, इसके तहत जो मुख्य कार्यकलाप किए गए हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना, सामुदायिक संघटन, संस्था एवं क्षमता संवर्धन, प्रारंभिक स्तर के कार्यकलाप, रिज क्षेत्र निरूपण, जल निकास लाइन निरूपण, मृदा एवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी लगाना, वन रोपण, बागवानी, चरागाह विकास, संपत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका संबंधी कार्यकलाप तथा लघु और सीमान्तक किसानों के लिए उत्पादन पद्धतियां तथा सूक्ष्म उद्यम शामिल हैं।

आईडब्ल्यूएमपी की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(i) आईडब्ल्यूएमपी के अन्तर्गत आरंभ किए जाने वाले कार्यकलापों को तीन चरणों में विभाजित किया गया है । **तैयारी चरण** (1 से 2 वर्ष) में मुख्यत: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना, आरंभिक चरण के कार्यकलाप तथा संस्थागत और क्षमता संवर्धन शामिल हैं। **वाटरशेड कार्य चरण** (2 से 3 वर्ष) में वाटरशेड विकास कार्य, सम्पत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका

कार्यकलाप तथा उत्पादन प्रणाली एवं सूक्ष्म उद्यम शामिल हैं। **समेकन और समापन चरण** (1 से 2 वर्ष) में विभिन्न कार्यों का समेकन और उन्हें पूरा करना शामिल है।

(ii) आईडब्ल्यूएमपी के लिए लागत मानदण्ड पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र के लिए 15,000 रुपये प्रति हैक्टेयर और अन्य क्षेत्रों के लिए 12,000 रुपये प्रति हैक्टेयर तथा एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) जिलों में आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं हेतु 15,000 रुपये तक प्रति हैक्टेयर तक है। इस स्कीम के तहत केन्द्र और राज्यों के बीच 90 और 10 के अनुपात में वित्तपोषण का प्रावधान है। आईडब्ल्यूएमपी के अन्तर्गत परियोजनाएं, वर्षासिंचित/अवक्रमित क्षेत्रों, जहां सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा नहीं है, में लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र के बीच माइक्रो वाटरशेडों के समूह में आरंभ की जाती हैं। केन्द्र, राज्य तथा जिला स्तरों पर समर्पित संस्थाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 1 % तथा संस्थागत एवं क्षमता संवर्धन के लिए 5% का विशेष प्रावधान करके इस कार्यक्रम में पूर्ण सावधानी से आयोजना तथा क्षमता संवर्धन पर जोर दिया गया है।

(iii) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई (पूर्व नाम आईडब्ल्यूएमपी) के कार्यान्वयन हेतु संस्थागत ढ़ांचा

(क) मंत्रालय स्तर: भूमि संसाधन विभाग में वाटरशेड परियोजनाओं के प्रभावी और व्यावसायिक प्रबंधन के लिए सचिव, भूमि संसाधन विभाग की अध्यक्षता में संचालन समिति के रूप में आवश्यक संस्थागत तंत्र है। यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों के परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है और उन्हें अनुमोदित करती है। संचालन समिति में नीति आयोग, कृषि, सहकारी और किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमशिलता मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, पशुपालन, डेरी एवं मात्स्यिकी विभाग, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, केंद्रीय भू-जल बोर्ड, नाबार्ड, इग्नू से सदस्य और विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों जैसे अंतरराष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंध फसल अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआईएसएटी), केन्द्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए) और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एनआरएससी), राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) से तकनीकी विशेषज्ञ, स्वैच्छिक संगठनों तथा राज्य सरकारों से सदस्य सम्मिलित किए गए हैं।

(ख) राज्य स्तर: व्यावसायिक सहायता के साथ एक राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) गठित की गई है। राज्य में आईडब्ल्यूएमपी के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) एक समर्पित संस्था है।

(ग) जिला स्तर: जिले में आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं का पर्यवेक्षण और समन्वयन करने के लिए वाटरशेड प्रकोष्ठ-सह-डाटा केन्द्र (डब्ल्यूसीडीसी) जिला स्तरीय संस्था है। राज्य सरकारों की सुविधा के अनुसार सभी कार्यक्रम जिलों में डीआरडीए/जिला परिषद/जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी/विभाग स्थापित किया गया है।

(घ) परियोजना स्तर: परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) द्वारा की जाती है। वाटरशेड परियोजनाओं हेतु समान मार्गदर्शी सिद्धांत, 2008 (2011 में संशोधित) के अनुसार, पंचायतें, सरकारी और गैर-सरकारी एजेन्सियां पीआईए के रूप में कार्य कर सकती हैं। प्रत्येक पीआईए में तीन से चार तकनीकी विशेषज्ञों का एक वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यूडीटी) होगा।

(ङ) ग्राम स्तर: फील्ड स्तर पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ग्राम सभा द्वारा वाटरशेड समिति (डब्ल्यूसी) गठित की जाती है। इसमें कम से कम 10 सदस्य होते हैं, जिनमें से आधे सदस्य एसएचजी और प्रयोक्ता समूहों (यूजी), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रतिनिधि, महिलाएं और भूमिहीन व्यक्ति होंगे। वाटरशेड समिति में डब्ल्यूडीटी का भी एक प्रतिनिधि होगा।

(iv) आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत राज्यों के लिए लक्षित क्षेत्र के आबंटन हेतु मानदंड

राज्यों के बीच लक्षित क्षेत्र के आबंटन के लिए निम्नलिखित मानदंडों को अपनाया गया है :

(i) देश में कुल डीपीएपी और डीडीपी क्षेत्र की प्रतिशतता के रूप में राज्य में चिन्हित किए गए डीपीएपी/डीडीपी क्षेत्र ।

(ii) देश में निरूपण योग्य कुल बंजरभूमि की प्रतिशतता के रूप में राज्य में निरूपण योग्य कुल बंजरभूमि ।

(iii) देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता के रूप में राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या ।

(iv) देश में कुल कृषि योग्य क्षेत्र की तुलना में राज्य में वर्षा सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता।

(v) पूर्वोत्तर राज्यों को 10% का अनिवार्य आबंटन ।

(V) राज्य में वाटरशेड परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने और चयन करने संबंधी मानदंड

वाटरशेड परियोजना क्षेत्रों के चयन में प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए राज्यों को निम्नलिखित सिद्धांत अपनाने के लिए कहा गया है:-

क्रम संख्या	मानदण्ड
i	गरीबी सूचकांक (जनसंख्या के अनुपात में गरीबों का प्रतिशत)
ii	एससी/एसटी जनसंख्या का प्रतिशत
iii	कम मजदूरी दर
iv	लघु एवं सीमांतक किसानों का प्रतिशत
v	भू-जल स्थिति
vi	नमी सूचकांक/ डीपीएपी/ डीडीपी ब्लॉक
vii	वर्षा सिंचित कृषि के तहत क्षेत्र

viii	पेयजल की उपलब्धता
ix	अवक्रमित भूमि का क्षेत्र
x	भूमि की उत्पादकता क्षमता
xi	पहले से विकसित/निरूपित अन्य वाटरशेड से सन्निकटता
xii	समूह व्यवस्था

(vi) **वाटरशेड कार्यक्रम के तहत विभिन्न घटक**

विभिन्न घटकों को परियोजना की कुल प्रति हेक्टेयर लागत का एक निश्चित प्रतिशत आबंटित किया गया है। इन प्रावधानों को अपनाना अनिवार्य है, हालांकि समान मार्गदर्शी सिद्धांतों में कुछ मामलों में छूट दी गई हैं। विभिन्न घटक इस प्रकार हैं:-

घटक	**प्रावधान (कुल परियोजना लागत का प्रतिशत)**
प्रशासनिक लागत	10
-निगरानी	1
-मूल्यांकन	1
निम्नलिखित सहित तैयारी चरण:	
-प्रारंभिक स्तर के क्रियाकलाप	4
-संस्था और क्षमता संवर्धन	5
-विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)	1
वाटरशेड कार्यचरण :	
-वाटरशेड विकास कार्य	56
-संपत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका क्रियाकलाप	9
-उत्पादन प्रणाली और सूक्ष्म उद्यम	10
समेकन चरण	3
कुल	**100**

(vii) केन्द्रीय सहायता जारी करना:

परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां, राज्यों के माध्यम से राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) को प्रदान की जाती हैं। जून, 2012 में आईडब्ल्यूएमपी के तहत केन्द्रीय सहायता जारी किए जाने के तंत्र में संशोधन किया गया है। सहायता जारी किए जाने के संशोधित तंत्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(i) राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) को केन्द्रीय सहायता, इसके द्वारा प्रस्तुत निधियों की मांग की वार्षिक योजना के आधार पर राज्य सरकार के माध्यम से एकमुश्त रूप में जारी की जाती है।

(ii) निधियों की वार्षिक मांग का अनुमान लगाते समय, एसएलएनए को तिमाही आधार पर किए जाने वाले वास्तविक कार्यकलापों और सदृश वित्तीय मांग का बैचवार और चरणवार स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए।

(iii) सामान्यत: निधियां प्रत्येक वर्ष 2 किस्तों में जारी की जाती हैं। पहली किस्त वित्त वर्ष की पहली अप्रैल को एसएलएनए के पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेष सहित एसएलएनए की अनुमानित वार्षिक निधि मांग या छ: माह की निधियों की मांग, जो भी कम हो, के 60 प्रतिशत के बराबर होगी।

(iv) वर्ष में अगली किस्त, पहली किस्त (अव्ययित शेष सहित) की 60 प्रतिशत निधियों के उपयोग तथा एसएलएनए द्वारा सदृश वास्तविक प्रगति, उपयोग प्रमाण पत्र, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लेखाओं के लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करने के बाद जारी की जाएगी।

आईडब्ल्यूएमपी के तहत प्रगति

आईडब्ल्यूएमपी के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए सभी 29 राज्यों में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियां (एसएलएनए) अधिसूचित की गई हैं। राज्य और जिला स्तरीय संस्थाओं की स्थापना/कार्मिकों की नियुक्ति करने के लिए संस्थागत सहायता के तहत 28 राज्यों को वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक कुल 181.84 करोड़ रुपये की सहायता जारी की गई है। वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक संस्थागत सहायता के तहत उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय निधियों का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत, 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार 28 राज्यों में कुल 39.07 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 8214 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्कीम की शुरूआत से आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय हिस्से के रूप में राज्यों को 12496.9 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। वर्ष 2009-10 से 2014-16 (31.12.2015 की स्थिति के अनुसार) के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं, शामिल किए गए क्षेत्र तथा जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-V** में दिया गया है।

अनुबंध - I

भूमि संसाधन विभाग

परिव्ययों तथा परिणामों/लक्ष्यों (2014-15) और वास्तविक उपलब्धियों का विवरण

(करोड़ रूपए में)

क्र0 सं0	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15	अनुमान्य प्रदेय	प्रक्रिया/ समय सीमाएं	कॉलम (5) के संदर्भ में उपलब्धियां (31.03.2015 की स्थिति के अनुसार)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	आईडब्ल्यूएमपी की प्रक्रिया के माध्यम से वर्षासिंचित/अवक्रमित भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना	2319.00#	(i) लगभग 5.00 मि0 हे. क्षेत्र को शामिल करने के लिए नई वाटरशेड परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना। (ii) 746 आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं में डीपीआर तैयार करना। (iii) 63.55 लाख हे. क्षेत्र को शामिल करते हुए 1328 आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं में तैयारी चरण पूरा करना।	न्यूनतम एक वर्ष	(i) 4.809 मि0 हे. क्षेत्र को शामिल करने के लिए नई वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 2318.75 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। (ii) 936 आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार की गईं। (iii) 78.10 लाख हे0 क्षेत्र को शामिल करते हुए 1562 आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं में तैयारी चरण पूरा किया गया।	
		कुल योग	**2319.00**				

3500.00 करोड़ रूपए के बजट अनुमान की तुलना में 2014-15 के दौरान आईडब्ल्यूएमपी (डीपीएपी, डीडीपी, आईडब्ल्यूडीपी, आईडब्ल्यूएमपी और व्यावसायिक सहायता) के लिए 2319.00 करोड़ रूपए के संशोधित अनुमान का प्रावधान किया गया है।

अनुबंध - II

भूमि संसाधन विभाग

परिव्ययों तथा परिणामों/लक्ष्यों (2015-16) और वास्तविक उपलब्धियों का विवरण

(करोड़ रूपए में)

क्र0 सं0	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16	अनुमान्य प्रदेय	प्रक्रिया/ समय सीमाएं	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम (5) के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास घटक) (पूर्ववर्ती आईडब्ल्यूएमपी)	आईडब्ल्यूएमपी की प्रक्रिया के माध्यम से वर्षासिंचित अवक्रमित भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना।	1530.00	(i) 735 आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं में डीपीआर तैयार करना। (ii) 35.00 लाख हे. क्षेत्र को कवर करते हुए 746 आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं में तैयारी चरण पूरा करना।	न्यूनतम एक वर्ष	(i) वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 1483.79 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई (ii) 301 आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार की गई। (iii) 17.00 लाख हे0 क्षेत्र को कवर करते हुए 340 आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं में तैयारी चरण पूरा किया गया।	
		कुल योग	**1530.00**				

अनुबंध-III

भूमि संसाधन विभाग

वर्ष 2015-16 (31.12.2015 की स्थिति के अनुसार) के दौरान राज्य-वार जारी की गई निधियां

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत जारी निधियां		
		आईडबल्यूएमपी	संस्थागत निधि	योग
1	आंध्र प्रदेश	86.73		86.73
2	बिहार	5.00		5.00
3	छत्तीसगढ़	20.00	1.06	21.06
4	गोवा			
5	गुजरात	100.00		100.00
6	हरियाणा			
7	हिमाचल प्रदेश	20.00		20.00
8	जम्मू और कश्मीर			
9	झारखंड	20.00		20.00
10	कर्नाटक	125.00		125.00
11	केरल	20.00		20.00
12	मध्य प्रदेश	150.00		150.00
13	महाराष्ट्र	250.00		250.00
14	ओडिशा	67.50	2.86	70.36
15	पंजाब	7.95	1.38	9.34
16	राजस्थान	200.00		200.00
17	तमिलनाडु	75.00		75.00
18	तेलंगाना	70.00	0.98	70.98
19	उत्तर प्रदेश	75.00		75.00
20	उत्तराखंड	25.68	0.99	26.67
21	पश्चिम बंगाल	10.00		10.00
	उप-योग एनएनई	**1327.86**	**7.27**	**1335.14**
22	अरूणाचल प्रदेश	18.00		18.00
23	असम	45.00		45.00
24	मणिपुर	9.00		9.00
25	मेघालय	18.00		18.00
26	मिजोरम			
27	नागालैण्ड	27.00		27.00
28	सिक्किम	6.30		6.30
29	त्रिपुरा	13.50		13.50
	उप-योग एनई:	**136.80**		**136.80**
सकल योग : एनएनई +एनई		**1464.66**	**7.27**	**1471.93**
व्यावसायिक सहायता और अन्य के तहत जारी निधियां				**11.85**
सकल योग				**1483.78**

अनुबंध-IV

समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत संस्थागत सहायता वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015.16 (31.12.2015 तक) के दौरान जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**योग**
1	आंध्र प्रदेश	3.44			0.00	2.99	0.00		6.43
2	बिहार		0.74		0.86		1.33		2.93
3	छत्तीसगढ़	2.63			2.39	1.13	3.43	1.06	10.65
4	गोवा				0.00				0.00
5	गुजरात	3.87		3.2	1.85	2.77			11.69
6	हरियाणा		0.85		0.00	1.76			2.61
7	हिमाचल प्रदेश	2.2		0.47	0.08	2.28	1.54		6.57
8	जम्मू और कश्मीर	2.29			0.00	1.76	0.00		4.05
9	झारखंड	2.18		2.62	0.00	2.23	0.56		7.59
10	कर्नाटक	3.87			3.30		1.95		9.12
11	केरल	0.76			0.00	1.56			2.32
12	मध्य प्रदेश	4.41			0.00	6.58			10.99
13	महाराष्ट्र	4.62		4.71	4.15				13.48
14	ओडिशा	3.14			3.28		3.61	2.86	12.90
15	पंजाब	1.04		0.54	0.74	1.15		1.38	4.85
16	राजस्थान	4.52			1.22	0.72	0.78		7.23
17	तमिलनाडु	3.66		0.76	1.30	2.47			8.18
18	तेलंगाना				0.00			0.98	0.98
19	उत्तर प्रदेश	5.27	1.61		0.00	6.43	5.96		19.28
20	उत्तराखंड	1.68			0.51	1.36	1.09	0.99	5.63
21	पश्चिम बंगाल			2.15	0.00	0.20	1.54		3.89
	पूर्वोत्तर राज्य				0.00				0.00
22	अरूणाचल प्रदेश	1.54			0.49				2.03
23	असम	3.71			0.00	1.52			5.23
24	मणिपुर		0.9	1.47	0.31				2.67
25	मेघालय	1.31			0.49	0.41	0.52		2.73
26	मिजोरम	1.3			0.33	0.87	1.15		3.64
27	नागालैण्ड	1.65	1.3	1.26	1.75	1.49	1.72		9.17
28	सिक्किम	1.14			0.62				1.76
29	त्रिपुरा	1.14			1.24		0.87		3.24
	सकल योग	**61.37**	**5.4**	**17.18**	**24.90**	**39.68**	**26.04**	**7.27**	**181.84**

अनुबंध-V

समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)

वर्ष 2009-10 से 2015-16 (31.12.2015 की स्थिति के अनुसार) तक स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या, क्षेत्र (मि0हे0) तथा जारी की गई केन्द्रीय निधियों (करोड़ रू. में) का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15			2015-16	योग		
		परियोजनाओं की संख्या	क्षेत्र	जारी की गई केन्द्रीय निधि	परियोजनाओं की संख्या	क्षेत्र	जारी की गई केन्द्रीय निधि	परियोजाओं की संख्या	क्षेत्र	जारी की गई केन्द्रीय निधि	परियोजनाओं की संख्या	क्षेत्र	जारी की गई केन्द्रीय निधि	परियोजनाओं की संख्या	क्षेत्र	जारी की गई केन्द्रीय निधि	परियोजनाओं की संख्या	क्षेत्र	जारी की गई केन्द्रीय निधि	जारी की गई केन्द्रीय निधि	परियोजनाओं की संख्या	क्षेत्र	जारी की गई केन्द्रीय निधि
1	आंध्र प्रदेश	62	0.3	13.0	97	0.4	64.3	102	0.4	93.0	56	0.2	76.5	56	0.2	107.7	59	0.2	163.8	86.7	432	1.8	605.0
2	बिहार							40	0.2	3.0	24	0.1	12.2	26	0.1	15.4	33	0.2	21.5	5.0	123	0.6	57.1
3	छत्तीसगढ़	41	0.2	13.7	71	0.3	50.4	69	0.3	62.4	27	0.1	0.0	29	0.2	26.0	26	0.1	10.0	20.0	263	1.2	182.4
4	गोवा#																					0.0	0.0
5	गुजरात	151	0.7	50.2	141	0.7	161.7	138	0.7	160.7	59	0.3	329.2	60	0.3	60.0	61	0.3	72.3	100.0	610	3.1	934.3
6	हरियाणा							47	0.2	11.6	13	0.1	5.2	15	0.1	14.2	13	0.1	27.0		88	0.4	58.0
7	हिमाचल प्रदेश	36	0.2	16.5	44	0.2	57.8	30	0.1	48.9	21	0.1	8.0	15	0.1	46.1	17	0.1		20.0	163	0.8	197.3
8	जम्मू और कश्मीर							41	0.2	0.0	43	0.2	38.3	46	0.2	0.0	29	0.1	51.4		159	0.7	89.7
9	झारखंड	20	0.1	7.6	22	0.1	24.1	45	0.2	15.7	30	0.2	48.2	27	0.1	29.4	27	0.1		20.0	171	0.9	145.0
10	कर्नाटक	119	0.5	81.0	127	0.5	71.0	116	0.5	127.4	68	0.3	334.6	63	0.3	586.1	78	0.3	125.4	125.0	571	2.6	1450.5
11	केरल				26	0.1	11.0	15	0.1	10.8	20	0.1	4.8	10	0.1	0.0	12	0.1	15.2	20.0	83	0.4	61.8
12	मध्य प्रदेश	116	0.7	43.5	99	0.5	113.3	111	0.6	108.6	37	0.2	128.3	73	0.4	135.6	81	0.5	304.0	150.0	517	2.9	983.2
13	महाराष्ट्र	243	1.0	67.8	370	1.6	208.1	215	0.9	378.7	120	0.5	501.6	116	0.5	180.4	122	0.5	197.9	250.0	1186	5.1	1784.5
14	ओडिशा	65	0.3	21.8	62	0.4	73.5	68	0.4	77.5	39	0.2	89.7	38	0.2	136.9	38	0.2	248.8	67.5	310	1.7	715.7
15	पंजाब	6	0.0	2.3	13	0.1	3.5	14	0.1	8.4	12	0.0	14.9	14	0.1	15.4	8	0.0		8.0	67	0.3	52.5
16	राजस्थान	162	0.9	69.9	213	1.3	257.5	229	1.3	318.3	145	0.8	424.5	135	0.7	0.0	141	0.7	403.1	200.0	1025	5.8	1673.3
17	तमिलनाडु	50	0.3	16.2	62	0.3	60.2	56	0.3	17.6	32	0.2	227.8	39	0.2	168.6	31	0.2	124.0	75.0	270	1.4	689.2
18	तेलंगाना	48	0.2	17.7	74	0.3	55.5	71	0.3	67.9	46	0.2	48.7	41	0.2	75.6	50	0.2	124.0	70.0	330	1.4	459.4
19	उत्तर प्रदेश	66	0.4	22.7	183	0.9	132.1	174	0.9	164.5	64	0.3	128.4	67	0.3	88.1	58	0.3	75.4	75.0	612	3.0	686.2
20	उत्तराखंड*				39	0.2	16.0	18	0.1	2.3	8	0.0	4.2			0.0	0	0.0	49.8	25.7	65	0.3	98.0
21	पश्चिम बंगाल							77	0.3	16.1	42	0.2	40.3	44	0.2	0.0		0.0	25.9	10.0	163	0.7	92.2
	पूर्वोत्तर राज्य																						
22	अरूणाचल प्रदेश	13	0.1	5.5	32	0.1	20.1	41	0.1	22.1	28	0.1	16.0	26	0.1	110.8	16	0.1		18.0	156	0.5	192.4
23	असम	57	0.2	32.5	86	0.4	40.8	83	0.4	37.5	54	0.2	43.0	45	0.2	116.6	47	0.2	7.0	45.0	372	1.6	322.4
24	मणिपुर				27	0.1	10.4	33	0.2	15.3	15	0.1	33.8	13	0.1	30.3	14	0.1	11.1	9.0	102	0.5	109.8
25	मेघालय	18	0.0	2.4	29	0.1	9.9	14	0.0	12.9	12	0.0	37.4	11	0.0	28.1	12	0.0	37.2	18.0	96	0.2	145.8
26	मिजोरम	16	0.1	5.1	16	0.1	17.1	17	0.1	5.8	15	0.1	16.4	14	0.1	69.2	11	0.1	75.8		89	0.4	189.5
27	नागालैण्ड	22	0.1	8.6	19	0.1	26.7	20	0.1	59.4	17	0.1	76.4	20	0.1	74.7	13	0.1	95.1	27.0	111	0.5	367.9
28	सिक्किम	3	0.0	1.2	3	0.0	3.9	3	0.0	1.2	2	0.0	8.2			0.0	4	0.0		6.3	15	0.1	20.7
29	त्रिपुरा	10	0.0	2.5	10	0.0	8.2	11	0.0	18.2	17	0.0	24.0	8	0.0	47.8	9	0.0	19.0	13.5	65	0.2	133.2
	सकल योग	**1324**	**6.3**	**501.5**	**1865**	**8.8**	**1496.8**	**1898**	**9.1**	**1865.9**	**1066**	**5.0**	**2720.5**	**1051**	**5.0**	**2162.8**	**1010**	**4.8**	**2284.6**	**1464.7**	**8214**	**39.1**	**12496.9**

 # राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

** 2015-16 के दौरान कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।*

II भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सीएलआर) के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

मौजूदा भूमि अभिलेख प्रणाली में अंतर्निहित कमियों को दूर करने तथा इसमें कार्यकुशलता, पारदर्शिता लाने और इसे सुलभ बनाने के उद्देश्य से 'भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सीएलआर)' के संबंध में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वर्ष 1988-89 में आरंभ की गई थी। 8 राज्यों के आठ जिलों, प्रत्येक राज्य में एक-एक, में प्रायोगिक परियोजनाएं आरंभ की गई, तत्पश्चात् इस स्कीम को देश के शेष भाग में लागू किया गया था।

2. वर्ष 2007-08 तक, इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश में 583 जिलों को शामिल किया गया था। साथ ही तहसीलों/ तालुकों, उप मंडलों तथा जिलों में डाटा केन्द्र स्थापित करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां भी उपलब्ध करायी गई थीं। 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, स्कीम को आरंभ किए जाने से लेकर मंत्रालय द्वारा 586.61 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 536.41 करोड़ रुपये के उपयोग की सूचना दी गई है, जो जारी की गई कुल निधियों का लगभग 91.44 % है ।

3. वर्ष 2008-09 के दौरान 'भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण' (सीएलआर) की स्कीम का राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के साथ विलय कर दिया गया है।

III. राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण एवं भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण (एसआरएएण्डयूएलआर) हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

'राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण एवं भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण' (एसआरएएण्डयूएलआर) संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने तथा उनका अनुरक्षण करने, राजस्व तंत्र को सुदृढ़ तथा आधुनिक बनाने, सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यों को पूरा करने और प्रशिक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से वर्ष 1987-88 में आरंभ की गई थी। स्कीम के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्यों द्वारा 50:50 के आधार पर वित्तपोषण किया जाता था। संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्णत: केन्द्रीय सहायता दी जाती थी।

2. स्कीम के अंतर्गत सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उपलब्ध कराई जाती थीं। 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय हिस्से के रूप में 475.36 करोड़ रुपये की निधियां जारी की गई थीं। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 439.24 करोड़ रुपये, जो जारी की गई कुल निधियों का लगभग 92.40 % है, की राशि के उपयोग की सूचना दी गई है।

3. वर्ष 2008-09 के दौरान एसआर एएण्ड यूएलआर की स्कीम का भी राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के साथ विलय कर दिया गया है।

IV. राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी):

विभाग वर्ष 2007-08 तक केन्द्रीय प्रायोजित दो स्कीमों, अर्थात् 'भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सीएलआर)' और 'राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण एवं भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण

(एसआरएएण्डयूएलआर)' कार्यान्वित कर रहा था। वर्ष 2008-09 के दौरान उपर्युक्त दोनों स्कीमों के मुख्य संघटकों को समेकित करके, नये संघटकों, जैसे लिखित तथा स्थानिक अभिलेखों का समेकन, रजिस्ट्रेशन का कम्प्यूटरीकरण तथा राजस्व एवं रजिस्ट्रेशन प्रणालियों की अंत: संयोजकता, सर्वेक्षण और कोर जीआईएस के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी विकल्प तैयार करना, को शामिल करके राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के रूप में केन्द्रीय प्रायोजित एक संशोधित स्कीम आरंभ की गई थी। इस स्कीम का डिजिटल इंडिया पहलों में समावेशन करके इसका भी नाम बदलकर डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) कर दिया गया है।

2. कार्यक्रम के अंतर्गत जिन कार्यकलापों को सहायता दी जाती है, उनमें अन्य के साथ-साथ अधिकारों के अभिलेखों (आरओआर) का कम्प्यूटरीकरण, मानचित्रों का डिजिटीकरण, हवाई फोटोग्रामेट्री सहित आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण/ पुन: सर्वेक्षण, रजिस्ट्रेशन का कम्प्यूटरीकरण, संबंधित अधिकारियों और पदधारियों का प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन, भूमि अभिलेखों और रजिस्ट्रेशन कार्यालयों के बीच संयोजकता तथा तहसील/ तालुक/ सर्किल/ ब्लॉक स्तर पर भूमि अभिलेख प्रबंधन केन्द्रों की स्थापना शामिल है।

3. एनएलआरएमपी के अंतर्गत आरंभ किए जाने वाले कार्यकलापों को जिला स्तर पर एक जगह किया जाना है और जिला, कार्यान्वयन की इकाई है। 12वीं योजना के अंत तक देश में सभी जिलों को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर लिए जाने की आशा है।

4. एनएलआरएमपी का अंतिम लक्ष्य देश में मौजूदा परिकल्पित स्वामित्वाधिकार प्रणाली के स्थान पर निश्चायक स्वामित्वाधिकार प्रणाली शुरू करना है।

5. कार्यक्रम के अंतर्गत सचिव, भूमि संसाधन विभाग की अध्यक्षता में एक राष्ट्र-स्तरीय परियोजना/ प्रस्ताव स्वीकृति एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है और निधियां जारी करने के संबंध में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों को समिति के समक्ष रखा जाता है।

<u>वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान उपलब्धियां/परिणाम</u>

6. वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए निर्धारित परिव्यय/लक्ष्य के संदर्भ में उपलब्धियों/परिव्ययों के संबंध में स्थिति **अनुबंध VI और VII** में दी गई है।

7. एनएलआरएमपी के अंतर्गत, वर्ष 2014-15 के दौरान आबंटन (संशोधित अनुमान) 181 करोड़ रुपये था। कार्यक्रम के अंतर्गत गठित परियोजना स्वीकृति एवं निगरानी समिति ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया और राज्यों को 45 जिलों को शामिल करने और राजस्व/सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में 2 एनएलआरएमपी केन्द्र/प्रकोष्ठ के सृजन हेतु 180.79 करोड़ रुपये की राशि जारी की।

8. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 35.54 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध VIII** में दिया गया है।

9. स्कीम के अंतर्गत आरंभ किए गए कार्यकलापों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, अनन्य रूप से महिलाओं के लिए बजट निर्धारित करना संभव नहीं रहा है। तथापि, वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति उप-योजना के विशेष घटक योजना के लिए प्रावधान किया गया है।

10. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) हेतु वर्ष 2015-16 के लिए 40.00 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) का परिव्यय अनुमोदित किया गया, जिसमें जनजातीय उप-योजना के लिए 10% करोड़ रुपए तथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए 16.2% करोड़ रुपये शामिल हैं।

अनुबंध -VI

भूमि संसाधन विभाग
परिव्ययों तथा परिणामों/लक्ष्यों (2014 -15) का विवरण

(करोड़ रूपए में)

क्र0 सं0	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014 -15	अनुमान्य प्रदेय वास्तविक परिणाम	प्रक्रिया/ समय-सीमाएं	कॉलम (5) के संदर्भ में उपलब्धियां (31.03.2015 की स्थिति के अनुसार)	अभ्युक्तियां/जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएल आरएमपी)	डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) की संकल्पना एक ऐसी मुख्य प्रणाली और सुधार उपाय के रूप में की गई है, जो न केवल भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण, अद्यतनीकरण और अनुरक्षण तथा भू-स्वामित्वाधिकारों के विधिमान्यकरण से संबंधित है बल्कि एक ऐसे कार्यक्रम के रूप में भी की गई है, जिससे उपयोगिता में वृद्धि होगी और भूमि अभिलेखों के डाटा के आधार पर नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराते समय स्थान विशिष्ट सूचना उपलब्ध कराकर विकासात्मक आयोजना एवं विनियामक और आपदा प्रबंधन कार्यकलापों के लिए एक व्यापक डाटा आधार मिलेगा। इसका दीर्घकालिक लक्ष्य आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा यू0के0 आदि और विकासशील देशों जैसे कीनिया, थाइलैण्ड आदि की तरह स्वामित्वाधिकार गारंटी के साथ निश्चायक स्वामित्वाधिकार की प्रणाली शुरू करना है। इससे सम्पत्ति अधिकारों की सुरक्षा तथा भूमि आधारित ऋण तथा आर्थिक संकार्य आसान होंगे और अर्थव्यवस्था के समग्र कार्यकरण में दक्षता आएगी।	250.00	कवर किए जाने वाले जिले = 60 प्रशिक्षण मानव दिवस = 5000	चल रही है	वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 95 जिले कवर करने और राज्यों के प्रशासनिक/ राजस्व/ सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में दो एनएलआरएमपी प्रकोष्ठ के सृजन हेतु 180.79 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। 6500 मानव दिवस का प्रशिक्षण दिया गया है।	

अनुबंध -VII

भूमि संसाधन विभाग
परिव्ययों तथा परिणामों/लक्ष्यों (2015-16) का विवरण

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र0 सं0	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015 -16	अनुमान्य प्रदेय 2015 -16	प्रक्रिया/ समय-सीमाएं	कॉलम (5) के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्तियां / जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमप)	डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) की संकल्पना एक ऐसी मुख्य प्रणाली और सुधार उपाय के रूप में की गई है, जो न केवल भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण, अद्यतनीकरण और अनुरक्षण तथा भू-स्वामित्वाधिकारों के विधिमान्यकरण से संबंधित है बल्कि एक ऐसे कार्यक्रम के रूप में भी की गई है, जिससे उपयोगिता में वृद्धि होगी और भूमि अभिलेखों के डाटा के आधार पर नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराते समय स्थान विशिष्ट सूचना उपलब्ध कराकर विकासात्मक आयोजना एवं विनियामक और आपदा प्रबंधन कार्यकलापों के लिए एक व्यापक डाटा आधार मिलेगा। इसका दीर्घकालिक लक्ष्य आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा यू0के0 आदि और विकासशील देशों जैसे कीनिया, थाइलैण्ड आदि की तरह स्वामित्वाधिकार गारंटी के साथ निश्चायक स्वामित्वाधिकार की प्रणाली शुरू करना है। इससे सम्पत्ति अधिकारों की सुरक्षा तथा भूमि आधारित ऋण तथा आर्थिक संकार्य आसान होंगे और अर्थव्यवस्था के समग्र कार्यकरण में दक्षता आएगी।	97.77 (संशोधित अनुमान 40. 00)	एनएलआरएमपी के अंतर्गत 60 जिले शामिल किए जाने हैं। प्रशिक्षण मानव दिवस = 5000	चल रही है	2015-16 के दौरान, एनएलआरएमपी के तहत संशोधित आबंटन 40.00 करोड रु. था। कार्यक्रम के अंतर्गत गठित परियोजना मंजूरी तथा निगरानी समिति ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया और डीआईएलआरएमपी के कार्यान्वयन हेतु, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल स्टाफ/अधिकारियों के सतत प्रशिक्षण के लिए राजस्व/सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में इनके केंद्रों और प्रकोष्ठों को 35.54 करोड़ रू. जारी किए। वर्षा के दौरान अरुणाचल प्रदेश में एक प्रकोष्ठ गठित किया गया है।	कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा तकनीकी मैनुअल, एमआईएस के लिए फार्मेट, राज्य संदर्शी योजना तथा वार्षिक कार्य योजना/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई तथा इन्हें अपेक्षित कार्रवाई हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों को परिचालित किया गया।

अनुबंध-VIII

2008-09 से 2015-16 (31.12.2015 की स्थिति के अनुसार) तक एनएलआरएमपी के अंतर्गत वित्तीय प्रगति (जारी की गई निधियां और सूचित किया गया उपयोग)

(लाख रूपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष																कुल		उपयोग प्रमाण-पत्र	अप्रयुक्त शेष
		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16					
		जारी धनराशि	कवर किए गए जिले	जारी धनराशि	कवर किए गए जिले	जारी धनराशि	कवर किए गए जिले	जारी धनराशि	कवर किए गए जिले	जारी धनराशि	कवर किए गए जिले	जारी धनराशि	कवर किए गए जिले	जारी धनराशि	कवर किए गए जिले	जारी धनराशि	कवर किए गए जिले	जारी धनराशि	कवर किए गए जिले		
1	आंध्र प्रदेश	3356.60	5			117.64		900.00	1	1131.20					7			5505.44	13	18.75	5486.69
2	अरुणाचल प्रदेश					48.60	1							1011.48	2	147.34		1207.42	3	0.00	1207.42
3	असम***			1806.12	20	329.63	7					1.81						2137.56	27	46.68	2090.88
4	बिहार	748.48	2	720.80	3	744.43	5	1623.23	11	1606.67	6	2327.82	11					7771.42	38	5766.85	2004.57
5	छत्तीसगढ़			553.86	2	414.71	3	1500.00	8	877.00								3345.57	13	905.00	2440.57
6	गुजरात	715.45	3			5527.24	12			214.07	7	1511.00	4	1641.990	4	2700.00		12309.75	30	8216.66	4093.09
7	गोवा													398.55	2			398.55	2	0.00	398.55
8	हरियाणा	285.06	2	1374.94	8	2101.48	11			124.95		30.00		99.20		80.00		4095.63	21	2489.00	1606.63
9	हिमाचल प्रदेश	488.95	3	326.82				500.00	4	1004.80		10.78		1949.10	5	50.00		4330.45	12	1938.24	2392.21
10	जम्मू व कश्मीर *	65.63	2			235.20			7	589.05		333.88	3					988.56	12	633.50	355.06
11	झारखंड					162.25	4	2227.66	16			117.64						2507.55	20	1172.28	1335.27
12	कर्नाटक									2451.20	6							2451.20	6	65.81	2385.39
13	केरल			700.79	3			225.45	4			632.00	4					1558.24	11	1172.80	385.44
14	मध्य प्रदेश	1266.33	5	4168.04	15	3031.83		1602.59	7	33.85		47.00		4.86		4.00		10158.50	27	8576.96	1581.54
15	महाराष्ट्र	3693.01	6	788.78		117.64	10	117.00		0.72		1819.01	18					6536.16	34	1673.67	4862.48
16	मणिपुर	168.53	4															168.53	4	0.00	168.53
17	मेघालय	431.43	3	192.32	2													623.75	5	78.07	545.68
18	मिजोरम					323.72	1	265.24	1	177.81	1	661.31		90.00		45.88		1563.96	3	1518.08	45.88
19	नागालैंड	58.97	2			181.63	2	574.54	2			612.49	3					1427.62	9	1277.62	150.00
20	ओडिशा	924.27	4	1467.22	3	147.05				41.87	8	7047.62	15					9628.04	30	6323.83	3304.21
21	पंजाब	814.17	2			585.61	3			40.28		39.20		1317.00				2796.26	5	1050.09	1746.17
22	राजस्थान			3901.94	4	235.27						4137.34	7					8274.55	11	928.12	7346.43
23	सिक्किम	9.36	3			65.70	1	156.84				594.29		116.00				942.19	4	197.15	745.04
24	तमिलनाडु							281.14	2			1101.46	30	1502.00	2	277.13		3161.73	34	1427.94	1733.79
25	तेलंगाना													8385.21	10			8385.21	10	0.00	8385.21
26	त्रिपुरा	271.68	4			385.65		117.63		820.39	3	57.28		581.73				2234.36	7	1223.74	1010.62
27	उत्तर प्रदेश	1346.50	5	70.86		435.13	3				18							1852.49	26	538.35	1314.14
28	उत्तराखंड													762.17	13			762.17	13	0.00	762.17
29	पश्चिम बंगाल	3991.55	10	3264.54	9			235.28		39.20								7530.57	19	4679.10	2851.47
30	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	25.71	1	28.39		12.15		6.00										72.25	1	53.49	18.76
31	चंडीगढ़																	0.00	0	0.00	0.00
32	दादरा व नगर हवेली*	24.29	1	33.68		33.68				4.39		3.42						65.78	1	24.29	41.49
33	दिल्ली									132.07	1							132.07	1	0.00	132.07
34	दमन व दीव			103.72	2													103.72	2	68.60	35.12
35	लक्षद्वीप			4.21	1	162.20												166.41	1	166.41	0.00
36	पुदुचेरी	190.00	2	36.93				117.64										344.57	2	9.63	334.94
37	विविध*					80.00		155.00		195.60		222.69		220.14		330.00		1203.43		285.58	917.85
कुल सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		**18875.96**	**69**	**19543.96**	**72**	**15478.43**	**63**	**10605.24**	**63**	**9485.12**	**50**	**21308.03**	**92**	**18079.43**	**45**	**3634.35**		**116741.64**	**457**	**52526.28**	**64215.36**

•पुनः विधिमान्यकृत

••अभ्यर्पित

•••प्रतिबद्ध-यह राशि कार्य के अधिग्रहण के बाद अदा की जाएगी। अनंतिम रूप से 32 लाख रु. का उपयोग।

प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार प्रशिक्षण (टीडीईटी)

टीडीईटी स्कीम 1993-94 में आरंभ की गई थी, जिसके दिशा-निर्देश पहली बार 1992-93 में बनाए गए थे और वर्तमान आवश्यकताओं को शामिल करते हुए इन्हें अक्तूबर, 2010 में संशोधित किया गया।

2. स्कीम के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- वाटरशेड प्रबंधन में आयोजना, कार्यान्वयन, मानिटरिंग स्तर पर और परियोजना पश्चात उपयोगिता के चरणों में समकालीन समस्याओं को दूर करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्यों के साथ विभिन्न अभिनव प्रौद्योगिकी विकास प्रायोगिक तथा कार्य अनुसंधान परियोजनाएं, अनुकरणीय निदर्शन मॉडल, विस्तार तथा प्रशिक्षण के कार्यकलाप आरम्भ करना।
- समेकित वाटरशेड प्रबंधन द्वारा वर्षासिंचित कृषि की सही क्षमता के आकलन के लिए फसल अनुरूपण मॉडलों पर आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग।
- प्रयोगशाला और फील्ड स्थितियों के बीच उत्पादकता/उपज के अंतर का मूल्याकंन करने के साथ इस अंतर को पाटने के लिए प्रौद्योगिकी विकास और विस्तार।
- परियोजना क्षेत्र में भूमि जलविज्ञानी क्षमता, मृदा तथा फसल सुरक्षा, अपवाह आदि में परिवर्तनों के संदर्भ में वाटरशेड विकास कार्यक्रमों में विभिन्न कार्यकलापों के वास्तविक प्रभाव के आकलन में अत्यधिक योगदान देना।

3. इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं हैं :-

(क) इस स्कीम को आईसीएआर के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों तथा पर्याप्त संस्थागत ढ़ांचे तथा संगठनात्मक आधार वाली सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के सफल कार्यान्वयन से गैर-वन बंजरभूमि के विकास की अद्यतन स्थिति के लिए उपयुक्त मौजूदा प्रौद्योगिकियों तथा भूमि आधारित कार्यक्रम कार्यान्वित करने वाले संगठनों तथा एजेंसियों द्वारा इसके व्यापक प्रयोग के बीच के अंतर को कम किए जाने की परिकल्पना की गई है।

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों और पंचायतों आदि के स्वामित्व वाली बंजरभूमि पर परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए शत-प्रतिशत अनुदान अनुज्ञेय है। यदि इन परियोजनाओं के अंतर्गत निजी किसानों और निगमित निकायों की बंजरभूमि को विकसित किया जाना शामिल हो तो परियोजना की लागत को सरकार तथा लाभभोगियों के बीच 60:40 के आधार पर वहन किया जाएगा। तथापि, यदि भूमि छोटे व सीमांतक किसानों की हो तो लाभभोगी का अंश क्रमश: 10 % व 5% होगा।

(ग) किसी परियोजना की स्वीकृति से पहले उसकी संवीक्षा तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा की जाती है और इसकी सिफारिश के पश्चात इसे अंतिम अनुमोदन हेतु संचालन समिति के सम्मुख रखा जाता है।

4. टीडीईटी की नई और चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए फरवरी, 2016 तक 1.42 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

5. देश के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में मॉडलों के तहत महत्वपूर्ण कार्यकलाप, लवणीय और क्षारीय मृदाओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए परीक्षण प्रभावी प्रौद्योगिकियां, गैर-बंजर भूमियों के औषीय और जड़ी-बूटी पौधरोपण का संवर्धन, जल संचयन हेतु मिश्रित प्रौद्योगिकियां, किए गए उपचार में बंजर भूमि पर डाटा आधार का विकास शामिल है, जैव उर्वरकों (कीटपालन, मायकोरिजा, जैव-कीटनाशक) खाद्य भंडार मॉडल तकनीकों आदि के माध्यम से अवक्रमित भूमि की विभिन्न कृषि वानिकी का संवर्धन और परीक्षण।

6. चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए टीडीईटी के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 1.16 करोड़ रूपए जारी किए गए थे। वर्ष 2007-08 से टीडीईटी को व्यावसायिक सहायता शीर्ष में मिला दिया गया है और इसके लिए कोई अलग से बजट आवंटन नहीं किया गया है। गत 5 वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में टीडीईटी स्कीम के तहत व्यय इस प्रकार हैः-

वर्ष	**वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये में)**
2010-11	9.95
2011-12	9.59
2012-13	1.60
2013-14	3.09
2014-15	1.16
2015-16	1.42 (फरवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार)

वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए परिव्ययों तथा परिणामों/लक्ष्यों और उपलब्धियों की सूचना **अनुबंध IX और X** में दी गई है।

अनुबंध- IX

प्रौद्योगिकी विकास विस्तार तथा प्रशिक्षण (टीडीईटी) स्कीम
वर्ष 2014-15 के लिए परिव्ययों तथा परिणामों/लक्ष्यों और उपलब्धियों का विवरण

क्र0 सं0	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15	अनुमान्य प्रदेय	कॉलम (5) के संदर्भ में उपलब्धियां	अभियुक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	टीडीईटी	1.बंजरभूमि विकास के विभिन्न पहलुओं के संबंध में डाटा आधार विकसित करना। 2. प्रायोगिक परियोजनाओं के जरिए बंजरभूमि की विभिन्न श्रेणियों के विकास हेतु उपयुक्त तथा प्रामाणिक प्रौद्योगिकियों का मानकीकरण तथा विधिमान्यकरण । 3. बंजरभूमि के व्यापक पैमाने पर विकास हेतु सफल तथा प्रामाणिक प्रौद्योगिकियों का प्रलेखन और प्रचार-प्रसार ।	टीडीईटी का 16.50 करोड़ रूपए के समग्र परिव्यय के साथ व्यावसायिक सहायता शीर्ष के तहत विलय कर दिया गया है।	टीडीईटी के अन्तर्गत प्रदेयों की मात्रा का निर्धारण निम्नलिखित कारणों से संभव नहीं है:- 1. स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत की गई प्रायोगिक परियोजनाएं मूलत: वाटरशेड विकास के संबंध में प्रदर्शन तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान परियोजनाएं हैं । 2. विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में प्रत्येक परियोजना की वस्तुनिष्ठ कार्यविधि की विषय-वस्तु तथा तकनीकी सामग्री भिन्न-भिन्न होती है, अत: इस स्कीम के अन्तर्गत किए जाने वाले प्रदेयों की मात्रा का निर्धारण संभव नही है ।	चल रही परियोजनाओं के लिए कुल 1.16 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई।	

अनुबंध - X

प्रौद्योगिकी विकास विस्तार तथा प्रशिक्षण (टीडीईटी) स्कीम
वर्ष 2015-16 के लिए परिव्ययों तथा परिणामों/लक्ष्यों और उपलब्धियों का विवरण

क्र0 सं0	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16	अनुमान्य प्रदेय	कॉलम (5) के संदर्भ में उपलब्धियां	अभियुक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	टीडीईटी	1. बंजरभूमि विकास के विभिन्न पहलुओं के संबंध में डाटा आधार विकसित करना। 2. प्रायोगिक परियोजनाओं के जरिए बंजरभूमि की विभिन्न श्रेणियों के विकास हेतु उपयुक्त तथा प्रामाणिक प्रौद्योगिकियों का मानकीकरण तथा विधिमान्यकरण । 3. बंजरभूमि के व्यापक पैमाने पर विकास हेतु सफल तथा प्रामाणिक प्रौद्योगिकियों का प्रलेखन और प्रचार-प्रसार ।	टीडीईटी का 26.00 करोड़ रूपए के समग्र परिव्यय के साथ व्यावसायिक सहायता शीर्ष के तहत विलय कर दिया गया है।	टीडीईटी के अन्तर्गत प्रदेयों का मात्रा की निर्धारण निम्नलिखित कारणों से संभव नहीं है:- 1. स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत की गई प्रायोगिक परियोजनाएं मूलत: वाटरशेड विकास के संबंध में प्रदर्शन तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान परियोजनाएं हैं । 2. विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में प्रत्येक परियोजना की वस्तुनिष्ठ कार्यविधि की विषय-वस्तु तथा तकनीकी सामग्री भिन्न-भिन्न होती है, अत: इस स्कीम के अन्तर्गत किए जाने वाले प्रदेयों की मात्रा का निर्धारण संभव नही है ।	नई और चल रही परियोजनाओं के लिए वर्ष 2015-16 (फरवरी, 2016 तक) में कुल 1.42 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई।	

अध्याय-V
वित्तीय समीक्षा

विभाग की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत चालू वर्ष सहित हाल के वर्षों में बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय के समग्र रूझानों को शामिल करते हुए वित्तीय उपलब्धियों तथा राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों के पास बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों के बारे में स्थिति नीचे दी गई है: -

1. वर्ष 2014-15, 2015-16 (31.12.2015 की स्थिति के अनुसार) के लिए स्कीम-वार बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों और वास्तविक व्यय की स्थिति तथा वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों का ब्यौरा **विवरण-I** में दिया गया है।

2. वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए किए गए प्रावधान का स्कीम-वार और मुख्य शीर्ष-वार ब्यौरा दर्शाते हुए विस्तृत अनुदान-मांगों का सार **विवरण-II** में दिया गया है।

3. 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार, राज्यों के पास लम्बित स्कीम-वार उपयोग प्रमाण-पत्रों का ब्यौरा **विवरण-III** में दिया गया है।

4. 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार, राज्यों के पास स्कीम-वार अप्रयुक्त शेष निधियों का ब्यौरा **विवरण-IV** में दिया गया है।

विवरण - I

वित्तीय मांग
स्कीम-वार परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	बजट अनुमान 2014-15	संशोधित अनुमान 2014-15	वास्तविक व्यय 2014-15	बजट अनुमान 2015-16	संशोधित अनुमान 2015-16	वर्ष 2015-16 के लिए जारी राशि (31.12.2015 की स्थिति अनुसार)	2016-17 के लिए प्रस्तावित बजट
1.	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास घटक) पूर्व नाम आईडब्ल्यूएमपी	3444.00	2316.61	2316.41	1530.00	1530.00	1483.79	1495.00
2.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं "नीरांचल"	56.00	2.39	2.34	0.00	0.00	0.00	55.00
3.	डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमप) (पूर्व नाम एनएलआरएमपी)	250.00	181.00	179.29	97.77	40.00	35.54	150.00
	योग योजना	**3750.00**	**2500.00**	**2498.04**	**1627.77**	**1570.00**	**1519.33**	**1700.00**
1	**गैर-योजना** सचिवालयी आर्थिक सेवाएं	9.13	8.95	8.37	9.73	8.32	6.59	9.36
	कुल योग (योजना और गैर-योजना)	**3759.13**	**2508.95**	**2506.41**	**1637.50**	**1578.32**	**1525.92**	**1709.36**

विवरण- II

वित्तीय मांग
अनुदान मांगों का सार

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान 2015-16	संशोधित अनुमान 2015-16	2016-17 के लिए बजट
	योजना				
1	**प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास घटक)**				
	(क) **कार्यक्रम घटक**	2501	30.00	30.00	23.25
		3601	1350.00	1350.00	1321.75
	(ख) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना- 'नीरांचल'				
		2501	0.00	0.00	10.00
		3601	0.00	0.00	45.00
	योग (पीएमकेएसवाई)		1380.00	1380.00	1400.00
2.	**डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमप) (पूर्व नाम एनएलआरएमपी**	2506	20.00	5.42	25.00
		3601	65.49	30.57	105.00
		3602	5.00	0.01	5.00
	योग: (डीआईएलआरएमपी)		90.49	36.00	135.00
3.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए एक मुश्त प्रावधान**				
	1. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास घटक) पूर्व नाम आईडब्ल्यूएमपी	2552	150.00	150.00	150.00
	2. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमप) (पूर्व नाम एनएलआरएमपी	2552	7.28	4.00	15.00
	योग: पूर्वोत्तर क्षेत्र		**157.28**	**154.00**	**165.00**
	योग योजना :		**1627.77**	**1570.00**	**1700.00**
	गैर- योजना	3451	9.73	8.32	9.36
1.	सचिवालयी-आर्थिक सेवाएं				
	कुल योग - योजना और गैर योजना		**1637.50**	**1578.32**	**1709.36**

विवरण-III

31 दिसंबर, 2015 तक जारी अनुदानों/ ऋणों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र
भूमि संसाधन विभाग

(करोड़ रुपये में)

अनुदान प्राप्तकर्त्ता/ऋणों का प्रकार	**बकाया कुल उपयोग प्रमाण-पत्रों की संख्या**	**निहित कुल राशि**
I. भूमि संसाधन विभाग द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रम		
1. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास घटक) - पूर्व नाम आईडब्ल्यूएमपी	0	0
2. भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण **(**सीएलआर**)**	4	18.82
3. राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण एवं भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण (एसआरए एण्ड यूएलआर)	4	1.92
4. राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी)	11	641.35
5. प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण (टीडीईटी)	17	8.11
कुल योग:	**36**	**670.20**

विवरण -IV

कार्यक्रमवार तथा राज्यवार अप्रयुक्त शेष निधि (31.12.2015 की स्थिति के अनुसार)
भूमि संसाधन विभाग

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य	आईडब्ल्यूएमपी	सीएलआर	एसआरए एवं यूएलआर	एनएलआरएमपी
1	आंध्र प्रदेश	70.55	0.00	0.00	5486.69
2	अरुणाचल प्रदेश	1.85	0.00	0.00	1207.42
3	असम	35.85	0.00	5.31	2090.88
4	बिहार	4.60	0.00	0.00	2004.57
5	छत्तीसगढ़	11.94	0.00	1.32	2440.57
6	गुजरात	78.04	0.00	0.00	4093.09
7	गोवा	0	0.00	0.00	398.55
8	हरियाणा	17.51	0.00	0.00	1606.63
9	हिमाचल प्रदेश	40.95	0.00	0.00	2392.21
10	जम्मू व कश्मीर	49.28	15.42	0.99	355.06
11	झारखंड	13.33	0.00	0.00	1335.27
12	कर्नाटक	16.31	0.00	15.09	2385.39
13	केरल	7.85	0.00	0.00	385.44
14	मध्य प्रदेश	321.54	0.00	0.00	1581.54
15	महाराष्ट्र	152.59	0.00	0.00	4862.48
16	मणिपुर	20.15	1.99	0.60	168.53
17	मेघालय	5.09	0.00	0.00	545.68
18	मिजोरम	20.3	0.00	0.00	45.88
19	नागालैंड	0.45	0.00	0.00	150.00
20	ओडिशा	94.43	0.00	0.00	3304.21
21	पंजाब	3.07	0.00	0.00	1746.17
22	राजस्थान	338.52	0.00	5.27	7346.43
23	सिक्किम	1.71	0.00	0.00	745.04
24	तमिलनाडु	105.99	0.00	0.00	1733.79
25	तेलंगाना	9.71	0.00	0.00	8385.21
26	त्रिपुरा	21.62	0.00	0.00	1010.62
27	उत्तर प्रदेश	173.24	0.00	0.00	1314.14
28	उत्तराखंड	43.65	0.00	0.00	762.17
29	पश्चिम बंगाल	24.97	0.00	0.00	2851.47
30	अंड. व निको. द्वीप समूह	0	0.00	0.15	18.76
31	चंडीगढ़	0	0.00	0.00	0.00
32	दादरा व नगर हवेली	0	0.00	0.06	41.49
33	दिल्ली	0	0.97	0.18	132.07
34	दमन व दीव	0	0.43	0.00	35.12
35	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0.00
36	पुदुचेरी	0	0.00	0.00	334.94
37	विविध (एनआईसी, एलबीएसएनएए)				917.85
	योग	**1685.09**	**18.82**	**28.97**	**64215.36**

अध्याय- VI

भूमि संसाधन विभाग के सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

****

भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत कोई स्वायत्त निकाय नहीं है, जिसका इस अध्याय में शामिल किया जा सके।